न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ,जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –ललित मीना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या : 93/2012

1–रोशन पुत्र भूरो (फौत दौराने विचारण वाद) 1/1–रेशो वेवा रोशन 1/2–जगदीश 1/3–भगवानदास 1/4–श्याम पुत्रगण रोशन समस्त जाति कुशवाह निवासीगण खपरैला तहसील सैपऊ 2–पूरन 3–ल्होरे पुत्रगण चित्ती जातिगण कुशवाह निवासीगण खपरैला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

1–रमेश 2–रामविलास पुत्रगण रामस्वरूप 3–शीला 4–विद्यावती पुत्रीयान रामस्वरूप 5–बच्चूसिंह 6–रामदुल्हारे पुत्रगण छोटे 7–प्रधान (फौत दौराने विचारण वाद) 7/1–प्रमोद 7/2–कृष्णा पुत्रगण प्रधान 7/3–सुनिता 7/4–शकुन्तला पुत्रीयान प्रधान 8–ल्होरे 9–महेश 10–सुरेश पुत्रगण छोटे समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम खपरैला

.....प्रतिवादीगण

11–सूखा पुत्र गोकुल 12–चेता 13–रामदयाल पुत्रगण शिवलाल 14–मेधा (फौत दौराने विचारण वाद) 14/1–कलिया वेवा मेघा 14/2–रतिराम 14/3–रनसिंह 14/4–भगवानदास 14/5–कृष्ण 14/6–पतरे 14/7–सीताराम पुत्रगण मेधा 14/8–रेखा 14/9–विमलेश पुत्रीयान मेधा समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण खपरैला तहसील सैपऊ 15–लाखन पुत्र शिवलाल
16–पी.एन.बी. भाखा सैपऊ जरिये प्रबन्धक
17–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद वास्ते स्वत्व घोषणा, दुरस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति – 1– श्री शेषकुमार शर्मा एडवोकेट .....(वादीगण)
2– श्री हजरत खां एडवोकेट .....(प्रतिवादी संख्या 1, 11, 15, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5)

निर्णय

दिनांक: 28.04.2022

वादीगण की ओर से दावा इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 1616, 1617, 1618/1, 1618, 1619, 1622/1 के वर्तमान खसरा नम्बर 1096 रकवा 5 बीघा 14 विस्वा, एवं गत खसरा नम्बर 1610, 1611, 1617 के वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 1098 रकवा 17 विस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 6 बीघा 11 विस्वा स्थित ग्राम कांकौली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर है, को वाद की आगामी चरणों में विवादित कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित कृषि भूमि के सम्बन्ध में वादीगण के सहकृषक प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 15 ने असल प्रतिवादी के विरूद्ध पूर्व में वाद वास्ते इस्तकरार हक एवं हुक्म इम्तनाई उनवानी चेता बनाम बच्चूसिंह प्रकरण संख्या 117/2010 न्यायालय सहायक

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

इस्तनाई उनवानी चेता बनाम बच्चूसिंह प्रकरण संख्या 117/2010 न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जो अन्तरिम होकर न्यायालय श्रीमान में दर्ज हुआ तथा दिनांक 13.01.2011 को अदम हाजरी अदम पैरवी में निरस्त हो गया। उपरोक्त पूर्व प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 15 वादीगण की ओर से प्रकरण की पैरवी करते रहे तथा उन्होंने वादीगण को प्रकरण को अच्छी तरह कन्टेस्ट करने हेतु आश्वस्त कर दिया था जिससे वादीगण उनके पूर्ण आस्वासन में रहे तथा वाद में उक्त लोगों द्वारा पैरवी नहीं की एवं वादीगण से अनवन होने के कारण तथा असल प्रतिवादीगण से साज समझौता होने से पैरोकारी हेतु तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुए जिससे विवादित कृषि भूमि में निहित वादीगण के स्वत्व व अधिकार पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता एवं वादीगण स्वयं हितों एवं अधिकारों की रक्षार्थ विवादित कृषि भूमि में अनुतोष प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी है। विवादित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 की पैतृक सम्पत्ति है जो विरासतन पूर्वजों से प्राप्त हुई है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्से के मुताबिक काबिज होकर का त करते रहे है। तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की वर्तमान में फसल खड़ी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष बाबा स्व0 सेवा विवादित कृषि भूमि पर अपने जीवन पर्यंत बतौर खातेदार काश्तकार काश्त करते रहे। जिनका देहान्त काफी अर्सा पूर्व हो चुका है उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्रगण गोकुल, शिवलाल, भूरी एवं चित्ती बराबर भाग से काबिज हुये तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण उनके स्थानों पर काबिज होकर वर्तमान में भी काबिज काश्त है। विवादित कृषि भूमि में वादी संख्या 1 का 1/4 वादीगण संख्या 2 व 3, 1/4 भाग एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 का संयुक्त रूप से 1/4 भाग तथा प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 15 संयुक्त रूप से 1/4 भाग निहित है और इसी हैसियत से विवादित कृषि भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। वादीगण सीधे–साधे अनपढ़ व कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ कृषक मजदूर पेशा के व्यक्ति है। जिनको पूर्ववृत्ति वाद अथवा विवादित कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख की कोई जानकारी किसी प्रकार नहीं हुई वादीगण वर्शा के समय विवादित कृषि भूमि पर काश्त करने गये तो मौके पर प्रतिवादीगण वादीगण के स्वत्व से स्पष्ट इन्कारी हो गये और धमकी दी उसके उपरोक्त वादीगण ने राजस्व अभिलेख की जानकारी ली तो ज्ञान हुआ कि असल प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से साजकर वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित नहीं होने दिया उपरोक्त नामान्तकरण वादीगण के पीछे बैक पर बिना किसी प्रकार की सूचना दिये चुपचाप गोपनीय तरीके से प्रविष्टियां अंकित की गई जिन्हें चैलेन्ज करने का वादीगण को विधिक रूप से अधिकारी है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण को आवश्यक हो गया है कि विवादित कृषि भूमि में निहित अपने स्वत्व को सक्षम न्यायालय में घोषित करावे एवं अंकित गलत प्रविष्टियों को दुरस्त करावे तथा असल प्रतिवादीगण के द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करावे कि अन्यत्र रहन वय मुन्तकिल नहीं करे और ना ही वादीगण को जबरन बलपूर्वक बेदखल करे जिसे करा पाने का वादीगण अधिकारी है। विवादित कृषि भूमि को वर्षा आने पर लगभग एक माह पूर्व वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा काश्त करने से रोकने व जबरन बेदखल करने तथा विक्रय करने की धमकी देने तथा स्वत्व वादीगण से इन्कारी होने वादीगण को न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में वाद कारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। प्रतिवादीगण संख्या 7 की मृत्यु हो चुकी है

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

...प्रधान के स्थान पर उसके वारिसान प्रमोद 7/1 व कृष्ण 7/2, सुनीता 7/3 व ...तला 7/4 को प्रतिवादी बनाया गया है।

अन्त में निवेदन किया कि वाद वादीगण विरूद्ध अराल प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे के विवादित कृषि वर्तमान खसरा संख्या 1096, 1098 स्थित ग्राम कांकोली तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर में वादी संख्या 1, 1/4 भाग व वादी संख्या 2 व 3, 1/4 भाग एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 15, 1/4 भाग खातेदार का तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख में अंकित गलत प्रविष्टियों को दुरूस्त किया जाकर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी 12 लगायत 15 को बतौर खातेदार अंकित कराया जावे। अराल प्रतिवादीगण को द्वारा स्थाई निशेधाज्ञा प्रतिबन्धित किया जावे कि विवादित कृषि भूमि में वादीगण संयुक्त उपभोग–उपयोग में किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं करें ना ही वादीगण को जबरन बेदखल करें और ना ही अन्यत्र रहन बय मुन्तकिल ही करें। अन्य अनुतोष जो हित वादीगण हो वह भी दिलाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 11, 15, 14 के वारिसान की ओर से श्री हजरत खां एडवोकेट उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या 16 की ओर से श्री सुनील परमार एडवोकेट उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या संख्या 1, 11, 15, 14 के वारिसान, 14, 16 की ओर उपस्थित अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतः उनका जबाब बन्द किया गया एवं शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 प्रदर्श–3 एवं अन्य दस्तावेज नकल जमाबन्दी 2010–13 खाता संख्या 13, नकल जमावन्दी खाता संख्या 112/1 सम्वत् 2010–13, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 117 सम्वत् 2010–13, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 733 सम्वत् 2010–13, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 37 सम्वत् 2018–2021, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 137 सम्वत् 2018–2021, नकल जमावन्दी खाता संख्या 112/1 सम्वत् 2014–17, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 602 सम्वत् 2014–17, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 742 सम्वत् 2014–17, नकल जमाबन्दी सम्बत 2022 खसरा नम्बर 97 पेश की है एवं मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू–1 पूरन, पी0डब्ल्यू.–2 भूरीसिंह के बयान दर्ज कराये हैं।

विद्वान अभिभाषक वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य एवं दस्तावेजों के अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि विवादित आराजीयात् सम्वत् 2010 से 21 तक गोकुल, शिवलाल, भूरी, चित्ती पुत्रगण स्व0 सेवा के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। लेकिन बाद में जमाबन्दी सम्वत् 2022 तैयार करते समय शिवलाल, भूरी, चित्ती पुत्रगण स्व0 सेवा का नाम विलोपित कर केवल गोकुल पुत्र सेवा का नाम दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। इसके पश्चात विरासत का नामान्तकरण खोलते हुए विवादित आराजी पर हिस्से अनुसार गोकुल के वारिसान का नाम दर्ज कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् प्रदर्श 1, 2 से होती है। उपरोक्त विवेचन से स्थिति स्पष्ट है कि जमाबन्दी सम्वत् 2022 खाता संख्या 97 में केवल गोकुल का ही नाम रहा तथा बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित आराजी से शिवलाल, भूरी, चित्ती का

उपखण्ड अधिका...
सैंपऊ

वेलोपित किया गया है। जो कि विधि विरूद्ध है। जबकि पूर्व नकल जमाबन्दी 2010–13 खाता संख्या 13, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 112/1 सम्वत् 2010–13, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 117 सम्वत् 2010–13, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 733 सम्वत् 2010–13, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 112/1 सम्वत् 2014–17, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 742 सम्वत् 2014–17, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 602 सम्वत् 2014–17, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 37 सम्वत् 2018–2021, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 137 सम्वत् 2018–2021 में गोकुल, शिवलाल, भूरी, चित्ती पुत्रगण स्व0 सेवा का नाम दर्ज रिकॉर्ड था। वादीगण के कथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 द्वारा किसी भी प्रकार से चेलेन्ज नहीं किया है। वादी अपने दावा को सिद्व करने में पूर्णतः सफल रहा है। ऐसी स्थिति मे हम दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 डिक्री किया जाना उचित समझते हैं ।

अत : आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1096, 1098 किता 2 रकवा 6 बीघा 11 विस्वा स्थित ग्राम कांकौली पटवार हल्का कांकौली तहसील सैपऊ का वादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 को 1/4 भाग का, वादी संख्या 2 व 3 को 1/4 भाग व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 15 को 1/4 भाग का एवं शेष रकवे पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 के हिस्से का इन्द्राज दुरूस्त किया जाता है। एवं राजस्व रिकॉर्ड में अंकित गलत प्रविष्टियों को दुरूस्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावे। एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के हिस्से की आराजी में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.04.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(ललित मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ